प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।

आवश्यक सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कालिन्दीपुरम् आवास योजना एवं त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) के संचालन एवं रख–रखाव हेतु निविदा सह–नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष की लीज पर आवंटन हेतु दिनांक 06.08.2024 को दैनिक समाचार पत्रों "हिन्दुस्तान" एवं "दैनिक जागरण" में विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुए दिनांक 22.08.2024 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे, उक्त पुनः दिनांक 18.09.2024 तक बढ़ाया गया था। उक्त अवधि में भी पर्याप्त पंजीकरण प्राप्त न होने के कारण पुनः पंजीकरण अवधि दिनांक 30.09.2024 को सील व मुहरबन्द निविदा, अपराह्न 12:30 बजे तक एवं नीलामी अपराह्न 12:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक तथा त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में स्थित गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र की निविदा सह–नीलामी हेतु दिनांक 30.09.2024 को सील व मुहरबन्द निविदा, अपराह्न 12:30 बजे तक एवं नीलामी अपराह्न 2:30 बजे से पूर्ण होने तक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। शेष नियम एवं शर्ते पूर्ववत रहेगी, जिसे पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण की वेवसाइट Pdaprayagraj.org.in पर देखा जा सकता है।

(संजीव उपाध्याय)
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, इन्दिरा भवन सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

पत्रांक : 180/प्र0अ0स0/वि0प्रा0/2024, दिनांक : 05/08./2024,

शहर के अति–महत्त्वपूर्ण एवं पूर्ण विकसित क्षेत्र कालिन्दीपुरम आवासीय योजना एवं त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना में सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) के संचालन हेतु निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा अपनी विकसित कालिन्दीपुरम् आवास योजना में यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र एवं त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र के संचालन एवं रख–रखाव हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों/फर्मो से निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। संक्षिप्त नियम व शर्तें निम्नवत् हैं :–

1. सम्पत्तियों का आवंटन "जहाँ है जैसे है के आधार पर 05 वर्ष की लीज पर किया जायेगा।
2. एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।
3. कालिन्दीपुरम् में स्थित यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 20.60 लाख (रुपया बीस लाख साठ हजार मात्र) प्रतिवर्ष एवं त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में स्थित गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 20.05 लाख (बीस लाख पाँच हजार मात्र) प्रतिवर्ष, है।
4. बोलीदाता को टोकन राशि के रूप में रू0 1.00 लाख (रुपया एक लाख मात्र) नगद अथवा आर0टी0जी0एस0के माध्यम से प्राधिकरण के यूको बैंक, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स प्रयागराज में खाता संख्या 00320204000446 आई0एफ0एस0सी0 कोड – 000032 में जमा करते हुए रसीद की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. उच्चतम बोली होने के पश्चात बोलीदाता /निविदादाता संचालन हेतु मना करने पर जमा टोकन धनराशि रू0 1.00 (रुपया एक लाख मात्र) जब्त कर लिया जायेगा।
6. कालिन्दीपुरम् में स्थित यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र की निविदा–सह–नीलामी हेतु तिथि व समय–दिनांक 22.08. 2024 को सील व मुहरबंद निविदा अपरान्ह 12.30 बजे तक एवं नीलामी अपराह्न 12.30 से पूर्ण होने तक।
7. त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु निविदा–सह–नीलामी तिथि व समय–दिनांक 22.08. 2024 को सील व मुहरबंद निविदा अपराह्न 12.30 बजे तक एवं नीलामी अपराह्न 02.30 से पूर्ण होने तक।
8. निविदा–सह–नीलामी स्थल प्राधिकरण सभागार, अष्टम तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
9. विस्तृत विवरण सहित आवेदन प्रपत्र प्राधिकरण की बेवसाइट www.pdapraygraj.org.in से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)

454

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

फार्म संख्या :-

आवेदन पुस्तिका का मूल्य ₹ 1180.00

(GST सहित)

शहर के अति–महत्वपूर्ण एवं पूर्ण विकसित क्षेत्र कालिन्दीपुरम आवासीय योजना एवं त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना में सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) के संचालन हेतु निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु

आवेदन पुस्तिका एवं नियमावली

संस्था / व्यक्तियों / फर्म का नाम:- ....

नोट:-आवेदन पत्र भरने से पूर्व फार्म में उल्लिखित नियमों / षर्तों को भलि-भाँति पढ़ लेवें एवं स्वच्छ पठनीय लिपि में विवरण अंकित करें। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

7-8th FLOOR, INDIRA BHAWAN, CIVIL LINES, PRAYAGRAJ
Fax: 0532-2407289, E-mail: aldda@rediffmail.com

सेवा में,

सचिव,
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।

विषय:–शहर के अति–महत्वपूर्ण एवं पूर्ण विकसित क्षेत्र कालिन्दीपुरम आवासीय योजना एवं त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना में सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) के संचालन हेतु निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

मैं/हम विकास प्राधिकरण प्रयागराज में कालिन्दीपुरम आवासीय योजना ☐ एवं त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना में ☐ सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) के संचालन हेतु निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से प्रतिभाग करना चाहते है।
सम्बन्धित योजना में सही का ☐ निशान लगाये।

1- आवेदित सामुदायिक केन्द्र का नाम : ....

2- संस्था/व्यक्तियो /फर्म का नाम : ....

पताः ....

....

....

पिन कोड.................................मोबाइल न0.................................

ई–मेल..

प्रपत्र/अनुबन्ध आदि पर हस्ताक्षर हेतु संस्था/व्यक्तियों/फर्म के अधिकृत व्यक्ति

1. नाम.................................नमूने का हस्ताक्षर.................................

2. नाम.................................नमूने का हस्ताक्षर.................................

3. नाम.................................नमूने का हस्ताक्षर.................................

विकास प्राधिकरण प्रयागराज
राजकुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
प्र0वि0प्रा0, प्रयागराज
कुमार सिंह
सचिव

(452)

4–संस्था / व्यक्तियों / फर्म के अधिकृत व्यक्तियों के स्व–प्रमाणित सत्यापित फोटो

नाम....................	नाम....................	नाम....................
नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो पर क्रास हस्ताक्षर	नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो पर क्रास हस्ताक्षर	नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो पर क्रास हस्ताक्षर
पता....................	पता....................	पता....................
....	....	....
मोबाइल नं0....................	मोबाइल नं0....................	मोबाइल नं0....................

5. जमानत धनराशि के जमा होने का विवरण (नगद अथवा आर0टी0जी0एस0) : ....
....
...

6. संस्था / व्यक्तियों / फर्म द्वारा टोकन राशि के रूप में जमा रू0 1.00 लाख नगद अथवा आर0टी0जी0एस0के माध्यम से प्राधिकरण के यूको बैंक, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स प्रयागराज में खाता संख्या 00320204000446 आई0एफ0एस0सी0 कोड – 000032 में जमा करने का दिनांक....................बैंक का नाम....................शाखा....................
....

संस्था / व्यक्तियों / फर्म का बैंक खाता संख्या....................

सम्बन्धित बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड....................

संस्था / व्यक्तियों / फर्म का आधार संख्या ____________________

(स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

संस्था / व्यक्तियो / फर्म का आयकर रिटर्न (विगत 03 वर्षों का)

(1) वर्ष....................
(2) वर्ष ....
(3) वर्ष ....

उ. अ. – अपर्णा, संयुक्त सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, राजकुमार गुप्ता, वित्त नियंत्रक, प्रविप्रा0, प्रयागराज, सचिव

(451)

नियमावली

1. सामुदायिक केन्द्र की स्थिति :– कालिन्दीपुरम् में स्थित यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र एवं त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में स्थित गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र "जहां है जैसा है" के आधार पर निविदा सह–नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष की लीज पर उपलब्ध है। दोनों सामुदायिक केन्द्र इन्डोर कार्यक्रम हेतु निर्मित किये गये है।

सामुदायिक केन्द्र की संचालन हेतु नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु पात्रता

(1) नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति की उम्र आवेदन करते समय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

(2) नीलामी में प्रतिभाग करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(3) पंजीकृत फर्मो अथवा कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी भी नीलामी में प्रतिभाग हेतु अधिकृत रहेगी।

(4) आवेदक साफ सुथरी छवि का होना चाहिए जिसके लिए सफल बोलीदाता को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किये गये चरित्र प्रमाण–पत्र को नीलामी तिथि से 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। पंजीकृत फर्म एवं कम्पनी के प्रकरण में प्रोपराइटर्स एवं डायरेक्टर्स को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा।

2. नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता प्रक्रिया :–

(1) नीलामीदाता को सामुदायिक केन्द्र की नीलामी में भाग लेने हेतु टोकन धनराशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/आरटीजीएस जो सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, जिसको नीलामी से पूर्व जमा करना होगा। यदि आवेदक ऐसा करने मे विफल हो जाता है तो नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।

(2) उच्चतम बोलीदाता की प्राप्त टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि जैसे नगद/आरटीजीएस के माध्यम से प्राधिरकरण के यूको बैंक, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स प्रयागराज में खाता संख्या 00320204000446 आई0एफ0एस0सी0 कोड – 000032 में जमा करना अनिवार्य होगा।

(3) उच्चतम नीलामीदाता के विफल हो जाने पर द्वितीय नीलामीदाता के आफर पर विचार किया जा सकता है। जिस हेतु द्वितीय नीलामीदाता द्वारा धरोहर धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी।

नीलामी प्रक्रिया :–

1- बोली से पूर्व नियम एवं शर्तें प्रतिभागियों को सुनायी जायेगी तथा उसकी एक प्रति नीलामीदाता के हस्ताक्षर सहित रिकार्ड में रखी जायेगी। नीलामी के शर्तों से सहमत/सन्तुष्ट होने पर बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रारम्भ की जायेगी। सामुदायिक केन्द्र के संचालन हेतु नीलामीदाता की बोली 03 माह हेतु मान्य होगी। सम्पत्ति की लीज 05 वर्ष हेतु प्रदान की जायेगी।

2- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ अधिकतम् एक व्यक्ति/सहयोगी को लाने का अधिकार होगा।

3- एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी दरों को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

4- कालिन्दीपुरम् में स्थित यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 20.60 लाख एवं त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में स्थित गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 20.05 लाख आरक्षित है। बोलीदाता को बोली न्यूनतम दर आरक्षित के आधार पर की जायेगी और प्रत्येक बोली का न्यूनतम् अन्तर का निर्धारण नीलामी समिति द्वारा नीलामी प्रक्रिया के दौरान किया जायेगा जो बोलीदाताओं को मान्य होगा।

संयुक्त सचिव
प्रयागराज विकास प्राधिकरण
प्रयागराज

अधिशासी अभियन्ता
प्रयागराज विकास प्राधिकरण

जिला नियंत्रक
प्रा0, प्रयागराज

अजीत कुमार सिंह
सचिव

450

5- सामुदायिक केन्द्र की नीलामी से पूर्व यदि बोलीदाता अपना अलग से सीलबन्द आफर/निविदा देना चाहता है तो नीलामी होने वाले दिवस पर अपराह्न 12:30 बजे तक सील बन्द लिफाफे में आफर दे सकता है। नीलामी समाप्त होने पर बन्द लिफाफा/ निविदा लिफाफे का आफर उपस्थित हितबद्ध व्यक्तियों के समक्ष नीलामी समिति के समक्ष खोला जायेगा। उच्चतम बोली अथवा उच्चतम निविदा में प्राप्त उच्चतम दर को ही प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। वेन्डर/बोलीदाता को आवश्यक न्यूनतम् आरक्षित मूल्य राशि नियमानुसार जमा करनी होगी।

6- <u>तथ्यो को छिपाना</u> :– यदि नीलामी में प्रतिभागी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्रधिकरण को पूरा अधिकार होगा कि नीलामीदाता की बोली एवं निविदा को निरस्त कर दें तथा नीलामीदाता/बोलीदाता द्वारा जमा सम्पूर्ण धरोहर धनराशि को जब्त कर लें। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही, जो प्राधिकरण उचित समझे की जा सकती है।

1. कर एवं अनुरक्षण कार्य के सम्बन्ध में शर्तें :–

(A) सम्पत्ति प्राधिकरण द्वारा सफल बोलीदाता/आफरदाता को "जैसा है जहां है" के आधार पर प्रदान की जायेगी। सम्पत्ति लीज की अवधि 05 वर्ष हेतु निर्धारित की जाती है।

(B) सामुदायिक केन्द्र का संचालन फर्म को नगर निगम/विद्युत विभाग अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर, उपयोग अनुसार विद्युत बिल का भुगतान करना होगा तथा अन्य लाइसेन्स भी स्वंय प्राप्त किये जाने होगें तथा उसका व्यय भी वहन करना होगा।

(C) संचालक फर्म को सामुदायिक केन्द्र में आन्तिरिक सुविधाओं की व्यवस्था अपने स्तर से की जानी होगी। (बेड, कुर्सी, मेज, एयर कन्डीशन, पर्दे आदि)

(D) संचालन फर्म को आन्तरिक व वाहय रंगाई–पुताई एवं विद्युत उपकरणों आदि का अनुरक्षण भी स्वयं किया जाना होगा।

(E) संचालन फर्म को सामुदायिक केन्द्र में समारोह के समय वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी सुचारू रूप से करनी होगी।

7- अन्य नियम व शर्तें :– (यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र एवं गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु)

I- वर्तमान में सामुदायिक केन्द्रों में 25 के0वी0 का जनरेटर एवम् समर्सेविल पम्प उपलब्ध है इसका संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व एवं सही स्थिति में निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण को हस्तगत करने का दायित्व संचालन करने वाले व्यक्ति का होगा। गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र में लिफ्ट का प्राविधान है, उसका संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व एवं सही स्थिति में निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण को हस्तगत करने का दायित्व संचालन करने वाले व्यक्ति का होगा।

II- कालिन्दीपुरम् में स्थित यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु मूल्य रू0 20.60 लाख एवं त्रिवेणीपुरम् आवास योजना में स्थित गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र हेतु मूल्य रू0 20.05 लाख प्रतिवर्ष न्यूनतम् किराया का आरक्षित मूल्य निर्धारत करते हुए इस पर नीलामी की जायेगी।

III- बारातघर संचालन रखरखाव एवं अनुरक्षण की अवधि 05 वर्ष होगी।

IV- नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को टोकन मूल्य राशि के रूप में रू0 1.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ देना होगा।

उपसचिव, विकास प्राधिकरण, प्रयागराज — मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण — वित्त नियंत्रक, प्र0वि0प्रा0, प्रयागराज — अजीत कुमार सिंह, सचिव

(५५१)

5- अधिकतम् बोलीदाता की बोली स्वीकृति होने पर संचालन आदेश पत्र जारी होने के पूर्व बोलीदाता को धनराशि का 25 प्रतिशत आरक्षित मूल्य एडवान्स जमा करना होगा। यह राशि बैंकड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा आरटीजीएस के रूप में प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी, तथा अवशेष राशि की किश्त 03 माह के अन्तराल पर अग्रिम जमा किया जाना होगा।

6- सफल बोलीदाता को स्वीकृति उपरान्त वार्षिक आरक्षित मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में एफडीआर/एनएससी अथवा आरटीजीएस स्वरूप में 05 वर्ष की वैधता अवधि के साथ कार्यादेश के समय जमा करनी होगी।

6 (A) प्रतिभूति धनराशि रू0 एक लाख का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नीलामी में भाग लेनें के इच्छुक प्रतिभागी उक्त डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक को नीलामी में भाग लेने हेतु टोकन प्राप्त करने हेतु नीलामी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा इसे निविदा के साथ लिफाफे में सील कर निविदा बॉक्स में नहीं डालेगें।

6 (B) सामुदायिक केन्द्र को लीज़ पर प्राप्त करने के इच्छुक प्रतिभागीगण निविदा प्रक्रिया एवं नीलामी में से किसी एक प्रक्रिया अथवा दोनों प्रक्रियाओं में भाग ले सकेगें।

7– संचालन फर्म कों यमुनोत्री सामुदायिक केन्द्र प्रति आयोजन 24 घण्टे हेतु अधिकतम रू0 30,000.00 एवं 12 घण्टे हेतु रू0 15,000.00 अनुमन्य होगा तथा गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र का संचालन हेतु फर्म की प्रति आयोजन 24 घण्टे हेतु अधिकतम रू0 40000.00 एवं 12 घण्टे हेतु रू0 20,000.00 अनुमन्य होगा, उक्त दोनों सामुदायिक केन्द्र का संचालन फर्म को बुकिंगदाता की आवश्यकता के अनुरूप कम करने का अधिकार होगा। सफल बोलीदाता को उपरोक्त आशय का बोर्ड भी स्थल पर लगाना होगा।

8– संचालन फर्म को समारोह हेतु किये जाने हेतु छूट की शर्ते :–

(i) प्राधिकरण के कार्मिकों हेतु संचालक फर्म द्वारा निर्धारित दर का 50 प्रतिशत की छूट दिया जायेगा। सामुदायिक केन्द्र को ऐसे आयोजन हेतु आरक्षण नही किया जायेगा। जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद या देश द्रोह की भावना व्याप्त हो, जिसमें भारतीय संस्कृति पंर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो, अथवा किसी समुदाय की भावनाओं के आहत होने अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।

(ii) 1. संचालन फर्म को कालोनी आवंटियों को पूर्व में बुकिंग न होने पर कालोनी आवंटियो/कालोनी वासियों को शोक सभा एवं सामाजिक कार्य हेतु मात्र साफ–सफाईएवं विद्युत शुल्क का चार्ज लेते हुए आवंटित करना होगा। पूर्व बुकिंग होने पर बुकिंग को प्राथमिकता प्रदान की जा सकेगी।

9– लीज की शर्तों के उल्लंघन की परिस्थितियों में सामुदायिक केन्द्र संचालन फर्म का आवंटन को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज को होगा यदि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रयागराज में स्थित न्यायालय का कार्य क्षेत्र होगा। बोलीदाता व्यक्ति द्वारा सभी आवश्यक प्रपत्र की छायाप्रति एवं ड्राफ्ट मूलरूप से जमा कराया जायेगा।

संचालन पद्धति :– सामुदायिक केन्द्र (यमुनोत्री एवं गंगोत्री सामुदायिक केन्द्र) का संचालन नीलामी द्वारा किया जायेगा। नीलामी में उच्चतम बोली अथवा उच्चतम निविदा के आधार पर ही संचालन स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित होगा। उच्चतम बोली स्वीकृत होने के पश्चात् संचालन हेतु मना करने पर जमा टोकन धनराशि रू0 1.00 लाख जब्त कर ली जायेगी। संचालन कर्ता द्वारा संचालन से मना करने पर उक्त दिनांक तक के सम्पूर्ण आरक्षित धनराशि को जमा करना होगा।

उप... प्रयागराज विकास प्राधिकरण

मुख्य ... प्रयागराज विकास प्राधिकरण

... गुप्ता वित्त नियंत्रक प्रयागराज

अजीत कुमार सिंह सचिव

भुगतान पद्धति :-

1. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली (दर) के अनुसार कुल मूल्य का 25 प्रतिशत 7 दिवस में जमा करना होगा जिसे वार्षिक आरक्षित धनराशि में समायोजित किया जायेगा।
2. जमा धनराशि भुगतान में विलम्ब होने पर 18% की दर से दण्ड ब्याज सहित देय होगा।

महत्वपूर्ण शर्त :-

1. उच्चतम् बोली अथवा निविदा के माध्यम से स्वीकृत वार्षिक लीज धनराशि को प्रत्येक 02 वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जायेगी। उपरोक्तानुसार 05 वर्ष की अवधि में दो बार दस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। दैवीय आपदाओं की स्थिति में किसी भी परिस्थिति को पुर्नविचार किये जाने हेतु उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
2. संचालन के समय किसी भी प्रकार के विवाद हो जाने पर Arbitation and Concilation act. 1996 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार विवाद का समाधान आर्बिट्रेशन के माध्यम से किया जायेगा।
3. अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर वास्तविक गणना के आधार पर क्षतिपूर्ति (Liquidated damages) की वसूली लीज होल्डर से की जायेगी। शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को लीज निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. परिसर में उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बिना अनुज्ञा के स्थाई रूप से निर्माण नहीं किया जा सकता है।
5. सफल निविदा/बोलीदाता को प्राधिकरण के साथ नियमानुसार अनुबन्ध कराना होगा तथा अनुबन्ध में आने वाला व्यय सफल निविदा/बोलीदाता को वहन करना होगा।

आज्ञा से

उपाध्यक्ष,
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।

संयुक्त सचिव
प्रयागराज विकास प्राधिकरण

राजकुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
प्र०वि०प्रा० प्रयागराज

अजीत कुमार सिंह
सचिव

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की ... के तहत ... परिषद के ... अपनी बात रखने का ... है।

सहारनपुर की बच्ची के प्रार्थना पत्र पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने और आवश्यक होने पर एक अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया।

... घायल होकर पर बाहर सड़क किनारे खड्ड के पानी में गई गिर निकालने लगा। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बारा थाना क्षेत्र के ... निवासी अभिषेक सिंह का बड़ा बेटा ... था।

... साल पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा

- रुपये के लेनदेन में विक्रेता की हुई थी हत्या
- हत्या में इस्तेमाल पेचकस व मृतक का फोन बरामद

हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र में ... मार्केट के पास लगभग ... वर्ष पहले हुई नारियल पानी ... की हत्या का नैनी पुलिस ने ... का खुलासा कर दिया। ... हत्या के आरोप में दो युवकों ... आरटीओ ऑफिस वाली रोड ... गिरफ्तार किया है। उनकी ... निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ... व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया।

... जनवरी 2023 की सुबह एडीए ... मार्केट के पास सड़क किनारे ... पानी बेचने वाले 20 वर्षीय ... खान पुत्र कय्यूम खां की लाश ... की दुकान पर मिली थी। शारिफ मूलरूप से थाना शेरगढ़ जिला बरेली का रहने वाला था। मामले में शारिफ के चचेरे भाई आकिब खान ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर नैनी वैभव सिंह ने बताया कि हत्या के बाद मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों की मदद से सोमवार को शाकिब अंसारी निवासी मिर्जापुर ... और आसिफ खान निवासी पत्थर गली थाना शाहगंज को गिरफ्तार किया।

... मौत

... टीम।

'जुझारू तेवर ने छोटे लोहिया को बनाया छात्र नेता से जन का नेता'

प्रयागराज। जुझारू तेवर ने छोटे लोहिया को छात्र नेता से जन का नेता' बना दिया। ये विचार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की 92वीं जयंती पर व्यक्त किया। जार्जटाउन स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सोमवार को छोटे लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि पार्टी के गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान था।

पार्टी के नेताओं ने चर्चा में कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही वह जनहित के लिए प्रशासन से टकराने लगे थे। इसी संघर्ष ने उनको लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। राजनैतिक सुचिता एवं प्रखर वक्ता होने के नाते उन्हें छोटे लोहिया बुलाया जाने लगे। मेजा के भड़ेवरा में प्रदेश सचिव नरेन्द्र सिंह ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ छोटे लोहिया की जयंती मनाई। सपा कार्यालय में कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अनिल यादव, पप्पूलाल निषाद, महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन आदि मौजूद रहे।

... बीमार हैं लोग

... पहुंची स्वास्थ्य ... दवाएं बांटी। ... की पांच ... कर रहे प्रेम ... होने पर ... सोमवार शाम ... लोगों को उल्टी ... डायरिया से हुई ... गई है।

The C... vite on... elow:- ... No.

The ... nder/Te... ebsite- ht... bmit the ... line in acc... nder Doc... chnical B... portant ... d upload ... d Start Da... d End Dat...

... तीस हजार रुपये ... 347/34 - ... एक हजार ... 506 - तीन वर्ष की ... उसे अर्थदंड।

... जेल में व्यतीत की ... में समायोजित की

नशेड़ी बेटे से आजिज होकर दर्ज कराई रिपोर्ट

प्रयागराज। नशेड़ी बेटे की मारपीट से आजिज बुजुर्ग पिता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बेटे के खिलाफ कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बेली कालोनी स्टैनली रोड निवासी रामशंकर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा विनायक नशा करता है। मारपीट और गाली गलौच करता है। आरोप है कि उसने अपनी मां के जेवर बेच डाले। रुपये न देने पर कट्टा लेकर दौड़ा लिया। दो तीन बार गैस खोल दिया जिससे कि आग लग जाए। चार अगस्त को आरोपित ने धारदार हत्या की कोशिश की। मां को पीटा। आसपास के लोग आए तब जान बची।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

... इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक ... दिनांक 05/08/2024

... निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से ... का सुनहरा अवसर

(... सक्सेना)
प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)

पत्रांक : 135/... /2024-25
दिनांक 0... 08.2024

हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण 06/8/2024

विशेष रेलगाड़ियों का संचालन

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैं :-

गाड़ी सं. 05557/05558 रक्सौल-लोकमान्य तिलक (ट.)-रक्सौल सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी

05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक (ट.)			05558 लोकमान्य तिलक (ट.)-रक्सौल	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
—	19:15	रक्सौल	16:50	—
06:10	06:15	मिर्जापुर	05:20	05:25
07:55	07:57	प्रयागराज छिवकी	04:15	04:20
05:50	—	लोकमान्य तिलक (ट.)	—	07:55

- रक्सौल जं. से : गाड़ी सं. 05557, (मंगलवार) दिनांक 06.08.2024
- लोकमान्य तिलक (ट.) से : गाड़ी सं. 05558, (गुरुवार) दिनांक 08.08.2024
- गाड़ी संरचना: स्लीपर श्रेणी-15, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-03, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-02, एसएलआर-01, एसएलआर/डी-01.

गाड़ी सं. 09061/09062 उधना-छपरा अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी

09061 उधना - छपरा			09062 छपरा - उधना	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
—	22:50	उधना	18:30	—
17:45	17:50	मानिकपुर	22:55	23:00
19:35	19:40	प्रयागराज छिवकी	21:20	21:25
07:00	—	छपरा	—	10:00

- उधना जं. से : गाड़ी सं. 09061, प्रत्येक बुधवार, दिनांक 07.08.2024 से 28.08.2024 तक
- छपरा जं. से : गाड़ी सं. 09062, प्रत्येक शुक्रवार, दिनांक 09.08.2024 से 30.08.2024 तक
- गाड़ी संरचना: सामान्य श्रेणी-16, चेयर कार-02, एसएलआर/डी-02

नोट: ट्रेनों के समय सारणी व ठहराव ... जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App ... का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे 1394/24(A)

CPRONCR ... North central railways ... www.ncr.indianrailways.gov.in